

अध्याय 2

आय-कर की दरें

- 2.** (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर ।
- 10 आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिवेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।
- (2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—
- 15 (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और
- (ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;
- (ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;
- (iii) उपबंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपबंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।
- 20 परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिवेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में, उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।
- (3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) 30 या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :
- परंतु धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, यथास्थिति, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ड में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :
- 35 35 परंतु यह और कि धारा 113 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, उस वर्ष के, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ड में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :
- परंतु यह और भी कि किसी ऐसी आय की बाबत, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखख, धारा 115ड और धारा 115जख के अधीन 40 कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।
- (4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ज, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धारओं में विनिर्दिष्ट 5 दरों से की जाएगी और उसमें संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के “दस प्रतिशत” की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; 10

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा। 15

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी संगृहीत राशि या संगृहीत कुल राशि और, ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास 20 हजार रुपए से अधिक है;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। 25

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम 30 के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए ऐसे कर में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा 35 अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ड में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115ख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115उ और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत, पहले परंतुक के अधीन 40 संगणित “अग्रिम कर” में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे “अग्रिम कर” के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। 45

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की 50 उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो); और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

- (ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;
- (iii) उपर्युक्त (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपर्युक्त (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :
- 5 परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या “अग्रिम कर” में से रिवेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपर्युक्त शीति में से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।
- 10 (11) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—
- (क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय की बाबत ऐसे विहित इंतजाम कर लिए हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए ;
- 15 (ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण या पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;
- (ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;
- 20 (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।